न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 87/2025 G.C.M.S. No. 2025/492 दर्ज दिनांक : 04.08.2025

अपीलार्थिगण:

1. इन्द्रा पुत्री जोराराम, जाति राईका
2. करनाराम पुत्र जोराराम, जाति राईका
3. तुलसी पुत्री जोराराम, जाति राईका
4. नारायण पुत्र शैतानराम, जाति राईका
5. रामा पुत्र शैतानराम, जाति राईका
6. शंकर पुत्र रणजीत, जाति राईका
7. हीरादास पुत्र भागुदास, जाति साद, निवासीगण ग्राम कुड़की, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. संतोष पत्नि स्व. लालाराम
2. तेजाराम पुत्र स्व. लालाराम
3. अशोक पुत्र स्व. लालाराम
4. प्रवीण पुत्र स्व. लालाराम, नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता संतोष पत्नि स्व. लालाराम
5. सोनु पुत्री स्व. लालाराम
6. पूजा पुत्री स्व. लालाराम, जातिगण धोबी, निवासीगण ग्राम कुड़की, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
7. गुदड़राम पुत्र शैतानराम, जाति राईका
8. सफी पुत्र हासम शाह, जाति मुसलमान
9. रफीक पुत्र हासम शाह, जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम कुड़की, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
10. वक्फ बोर्ड डोली पीर जी राजस्थान सरकार मुख्यालय, लाल कोटी योजना ज्योति नगर 25, जयपुर।
11. गुमानराम पुत्र रणजीत, जाति राईका, निवासी ग्राम कुड़की, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण व जिला ब्यावर।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 172/2022 बअनवान संतोष वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2025</u>

<u>पैरोकार–</u>

1. श्री श्यामसिंह सोलंकी, श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री सदाम काजी, श्री शंकरलाल गहलोत, श्री देवेन्द्र गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 172/2022 बअनवान संतोष वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है, न ही प्रथमतः अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय का मूल प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 373 में से होकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 380 में आवागमन का रास्ता होने का कोई कथन नहीं किया है, न ही अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 373 में से होकर रास्ते की मांग ही की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात अप्रार्थीगण की तलबी एवं दिनांक 27.03.2023 को तहसीलदार जैतारण को प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक एवं फर्द मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जैतारण द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिसमें भी कुड़की से आलनियावास जाने वाले रास्ता के खसरा संख्या 427 से होते हुए अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की कृषि भूमि (डोली) खसरा संख्या 374 व अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि खसरा संख्या 376 में से होकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 380 में आवागमन का एकमात्र रास्ता होना दर्शित किया है। जिससे भी स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रेषित उपरोक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश कर अपीलाण्टस/अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में बतौर अप्रार्थीगण संयुक्त करने हेतु निवेदन किया जिस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाने के सम्बन्ध में किये गये कथन भी आधारहीन है। प्रार्थीगण द्वारा अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये पक्षकार बनाये जाने बाबत् कोई हेतुक ही दर्शित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स/अप्रार्थीगण को सुने बिना प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पक्षकार संयोजित किया है जो सरासर विधि विरूद्ध है। तत्पश्चात् दिनांक 07.02.2025 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जैतारण से हस्तगत प्रार्थना पत्र के आधार पर सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्वयं मौके पर उपस्थित होकर जाँच कर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई, किन्तु तहसीलदार की अनुपस्थिति में हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने प्रार्थीगण से मिलावट कर मौके एवं रेकर्ड के तथ्यों से परे जाकर दिनांक 26.02.2025 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय में पेश की गई। जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राह्य कर उक्त मिलावटी रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोंडेंट द्वारा अपनी खातेदारी आराजी ग्राम कुड़की, तहसील जैतारण के खसरा संख्या 380 पहुंच के लिए पहुंच मार्ग हेतु अपीलांट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 373 में से 4 मीटर चौडा व 166 मीटर लंबा कुल रकबा 664 वर्गमीटर सार्वजनिक सिवायचक रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 04.08.2025 को अंदर म्याद प्रस्तुत की।

2. अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पोंडेंट की आराजी परस्पर लगते हुए स्थित है। अतः अपीलाधीन आदेश में रास्ते के लिए प्रयुक्त रकबा के बराबर यदि रेस्पोंडेंट प्रार्थी बतौर प्रतिकर अपनी आराजी खसरा संख्या 380 में से अपीलांट अप्रार्थी को देता है तो अपीलांट रास्ता देने के लिए सहमत है।

3. राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में संशोधन करते हुए उक्त धारा के अंतर्गत स्वीकृत रास्ते की भूमि के प्रतिकर के रूप में समान रकबे की भूमि प्रार्थी द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान

राजस्व अपील प्राधिकारी

किया गया है। यदि प्रार्थी की ऐसी भूमि जिसके लिए रास्ते की मांग की गई हैं, अप्रार्थी की आराजी जिसमें से रास्ता स्वीकृत किया गया है, से लगी हुई हों।

4. चूंकि संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिकर के रूप में राशि के बजाय समान रकबे की लगती हुई भूमि प्रदान किए जाने का विधिक प्रावधान किया गया है, ताकि प्रभावित काश्तकार का रकबा कम नहीं हों तथा मांग करने वाले काश्तकार को रास्ता भी सुलभ उपलब्ध हो सकें। प्रतिकर के रूप में राशि के बजाय समान रकबे की भूमि अपील के स्तर पर मांग किये जाने से वस्तुतः प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हस्तगत प्रकरण के भू–अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट की आराजी खसरा संख्या 380 एवं अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 373 परस्पर लगी हुई हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 373 में से स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता कुल रकबा 664 वर्गमीटर के समान भूमि रेस्पोंडेंट की आराजी खसरा संख्या 380 की पूर्वी सीमा के सहारे का भाग जो अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 373 से लगती हैं, में से 664 वर्गमीटर रकबा कम कर उक्त रकबा अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकृत प्रतिकर राशि का निर्धारण व भुगतान किए जाने की सीमा तक अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर इसी अनुरूप अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को इसी अनुरूप संशोधित किया जाना, पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी जैतारण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 172/2022 बअनवान संतोष वगैरह बनाम सरकार वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2025 को "स्वीकृत रास्ते के प्रतिकर के रूप में राशि की गणना एवं प्रतिकर राशि के निर्धारण व भुगतान की सीमा" तक अपास्त करते हुए राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2023 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में किए गए संशोधित विधिक प्रावधानों के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 373 में से स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता कुल रकबा 664 वर्गमीटर के प्रतिकर के रूप में रेस्पोंडेंट्स की आराजी खसरा संख्या 380 की पूर्वी सीमा के सहारे का भाग जो अपीलांट की आराजी खसरा संख्या 373 से लगती हैं, में से 664 वर्गमीटर रकबा कम करते हुए इसे अपीलांट अप्रार्थी के नाम बतौर प्रतिकर जरिये नामांतरण दर्ज किया जावें। रेस्पोंडेंट प्रार्थीगण द्वारा यदि अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी

आदेश की पालना में यदि प्रतिकर राशि अधीनस्थ न्यायालय या संबंधित तहसील में जमा करवाई गई हैं, तो उसे रेस्पोंडेंट्स प्रार्थीगण को पुनः लौटाई जावें। शेष आदेश यथावत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश इसी अनुरूप संशोधित किया जाता है। इसी अनुरूप संबंधित तहसीलदार द्वारा नामांतरण की कार्यवाही कर अमल दरामद किया जावें। जब तक तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश की अनुपालना में भू–अभिलेख में अमल दरामद नहीं कर दिया जाता, तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की मौके पर अनुपालना स्थगित रखी जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर [redacted])
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली